

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 फरवरी 2017—माघ 13, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. सी. 5-1-2013-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-2013-3-एक, दिनांक 30 मई, 2013 को विखंडित करते हुए मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 को निरसित करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. सी. 5-1-2013-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd February, 2017

No. C-5-1-2013-3-One.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby repeals the Madhya Pradesh Daily Wages Employees (Conditions of Service) Rules, 2013 by rescinding this department's Notification No. C-5-1-2013-3-One, dated 30th May, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
C. B. PADWAR, Dy. Secy.